न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शंकुतला आर.ए.एस.

मि0न0 — 46/2021 (2021/00255)
अनवान : —

शंकरलाल पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।

— सायल

बनाम

1. मांगेराम पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
3. राकेश कुमार पुत्र विजयसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
4. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. कमला पुत्री मांगेराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
6. सुमित्रा पुत्री मांगेराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
7. सरोज पुत्री मांगेराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।

—गैरसायलान

<u>प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम</u>

श्री संदीप गोदारा वकील सायल
श्री कपूरचन्द शर्मा वकील गैरसायल

दिनांक 29/04/22

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि सायल ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना—पत्र गैरसायल के खिलाफ इस आश्य से पेश किया है कि सायल व गैरसायल की रोही मोजा चक 5 एमआरएन के खाता सं0. 125/119/1 के मु.न. 37 के किला नं. 25 की कुल 0.228 हैक्टेयर बारानी 0.025 हैक्टेयर खाला, मुरब्बा न0 50 के किला न0 5 की 0.228 हैक्टेयर नहरी 0.025 हैक्टेयर खाला, मुरब्बा न0 51 के किला न0 1 ता 3, 8, 9 इस प्रकार कुल किता 5 की कुल 1.265 हैक्टेयर नहरी खाता के कुल किता 7 की कुल 1.771 हैक्टेयर जिसमें नहरी 1.493 हैक्टेयर बारानी 0.228 हैक्टेयर खाला 0.050 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में गैर सायल संख्या 1 मांगेराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा चक 9 एमआरएन के खाता संख्या 72/69 के मुरब्बा न0 19 के किला न0 8, 13, 14 इस प्रकार कुल किता 3 की कुल 0.759 हैक्टेयर बारानी, मुरब्बा न0 27 के किला न0 8 की 0.253 है0 बारानी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है9, मुरब्बा न0 29 के किला न0 18/1 की 0.042 है0 नहरी, किला न0 19, 22 सम्पूर्ण नहरी, किला न0 23/1 की 0.042 है0 नहरी इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 0.590 हैक्टेयर नहरी, मुरब्बा न0 34 के किला न0 2 की सम्पूर्ण नहरी जिसमें 0.240 है0 नहरी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

0.013 है0 रास्ता, किला न0 3/1 की 0.043 है0 गैर मुमकिन रास्ता 0.003 है0 0.004 है0 नहरी कुल किता 2 की कुल 0.296 है0 जिसमें नहरी 0.280 है0 गैर मुमकिन रास्ता 0.016 है0, इस प्रकार कुल किता 10 की कुल 1.898 है0 जिसमें नहरी 0.870 है0 बारानी 0.999 है0 गैर मुमकिन रास्ता 0.029 है0 अप्रार्थी संख्या 1 मांगेराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जो कि मांगेराम को विरासतन अपने पिता रूपराम से प्राप्त हुई है। जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। परन्तु गैरसायल मांगेराम ने रोही मौजा चक 9 एमआरएन के खाता संख्या 72/69 के मुरब्बा न0 19, 27, 29, 34 के खाता का कुल किता 10 की कुल 1.898 हैक्टेयर नहरी बारानी मय गैर मुमकिन रास्ताा के खातेदारी भूमि में से मुरब्बा नम्बर 29 के किला न0 18/1 की 0.042 है0 नहरी, किला न0 19 की 0.253 हैक्टेयर, किला न0 22 की 0.253 हैक्टेयर, किला न0 23/1 की 0.042 हैक्टेयर, मुरब्बा न0 34 के किला न0 2 की 0.253 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता व किला न0 3/1 की 0.043 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता इस प्रकार कुल 0.886 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि को राकेश कुमार पुत्र विजयसिंह जाति जाट निवासी महराना को उप पंजीयक छानीबड़ी के मार्फत बहक राकेश कुमार के पक्ष में दिनांक 01.07.2021 को बैयनामा करवा दिया। इसी प्रकार गैर सायल संख्या 1 मांगेराम ने अपनी पुत्र सुरेन्द्र कुमार के पक्ष में रोही मौजा चक 9 एमआरएन के खाता संख्या 72/69 के मुरब्बा न0 19, 27, 29, 34 के खाता का कुल किता 10 की कुल 1.898 हैक्टेयर नहरी बारानी मय गैर मुमकिन रास्ताा के खातेदारी भूमि में से मुरब्बा नम्बर 19 के किला न0 8 की 0.253 है0, किला न0 13 की 0.253 हैक्टेयर, किला न0 14 की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 27 के किला न0 8 की 0.253 हैक्टेयर में से 0.126 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 0.885 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि को उप पंजीयक छानीबड़ी के मार्फत बहक सुरेन्द्रसिंह के पक्ष में दिनांक 09.07.2021 को दान करवा दिया। ऐसे में गैरसायल के खिलाफ का फैसला अर्जीदावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादभूमि को रहन, बैय का दीगर तरीके से हस्तान्तरण नही करें तथा मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रथम दृष्टया सायल का वाद वाजिब है सुविधा का सन्तुलन व अपूर्ण क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में आदि आदि तथ्यों का प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हुआ अप्रार्थीगण ने जवाबदरख्वास्त पेश किया और अंकन किया कि वाद कृषि भूमि में से प्रार्थी शंकरलाल को धनराशि की आवश्यकता होने के कारण शंकरलाल के हिस्से की अप्रार्थी संख्या 3 राकेश कुमार को 0.886 हैक्टेयर कृषि भूमि विक्रय की एवं इतनी ही भूमि अपने पुत्र सुरेन्द्रसिंह के पक्ष में दान की गई, दानपत्र के समय सायल शंकरलाल स्वयं गवाह रहा।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 100 विक्रय पत्र व दानपत्र अकृत व शून्य घोषित पेश करने हेतु एवं हिन्दू

उत्तराधिकार नियम 1956 धारा 6 बाद की स्थिती– पूर्वजो द्वारा स्वअर्जित विरासत भूमि भी स्वअर्जित होने के संबध में एवं आरटीए 1956 धारा 135 नामानन्तरण ना खोले जाने के संबध में नजीरें पेश कर कथन किया कि उक्त विवादित कृषि में से 0.886 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि को अप्रार्थी सं. 03 राकेश कुमार पुत्र विजयसिंह जाति जाट निवासी महराना को उप पंजीयक छानीबड़ी के मार्फत बहक राकेश कुमार के पक्ष में बैयनामा करवा दिया एवं इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 02 सुरेन्द्र कुमार के पक्ष 0.0885 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि को सुरेन्द्रसिंह के पक्ष में को दान करवा दिया। ऐसे में गैरसायल के खिलाफ का फैसला अर्जीदावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादभूमि को रहन, बैय का दीगर तरीके से हस्तान्तरण नही करें तथा मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तथा वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थी शंकरलाल को धनराशि की आवश्यकता होने के कारण शंकरलाल के हिस्से की अप्रार्थी संख्या 3 राकेश कुमार को 0.886 हैक्टेयर कृषि भूमि विक्रय की एवं इतनी ही भूमि अपने पुत्र सुरेन्द्रसिंह के पक्ष में दान की गई। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायल सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थी, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदी, बैयनामा, शपथ पत्र का अध्ययन किया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामला**:–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अमरसिंह के वारिस के तौर पर खातेदारी अधिकारों का दावा किया है। वादभूमि में अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी शंकरलाल के हिस्से की भूमि शंकरलाल की सहमति एवं धनराषि की आवश्कता के कारण विकय की एवं उतनी ही कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 02 के नाम दानपत्र की जिसमें शंकरलाल स्वयं गवाह मौजूद रहा है। अतः प्रथम दृष्टया उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है तथा प्रार्थी इसे अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है।

2 **सुविधा का संतुलन**:– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है साथ ही प्रार्थी ने यह प्रस्तुत किया कि उक्त आराजी में मिन की पैत्रृक भूमि है। अप्रार्थी सं0 1 मांगेराम की उक्त वाद भूमि पैत्रृक सम्पति होने के कारण यदि अप्रार्थी मांगेराम किसी भी रूप में वाद भूमि का उपयोग–उपभोग करें तो प्रार्थी को किसी भी प्रकार की

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

असुविधा/क्षति हो सकती है। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थी के एक पक्ष में एवं एक विरूद्ध साबित हुए है। अपूर्णीय क्षति बिन्दू देखा जाये तो प्रार्थी का वाद भूमि में जन्म से हक हिस्सा निहित है, इसलिए वाद भूमि को अप्रार्थी मागेराम द्वारा अन्य किसी रूप से वाद भूमि को उपयोग किया जा सकता है, जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की संभावना है, चुंकि प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि में अपने हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थी के हकों का निर्धारण विचाराधीन वाद में गुण अवगुण के आधार पर किया जावेगा।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट को आंशिक स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा इस हद तक ताफैसला कन्फर्म की जाती है कि बैयनामा/दानपत्र की गई भूमि का नामान्तरण करवाने हेतु स्वतंत्र होगें एवं शेष वाद भूमि को रहन, बैय, मुन्तकिल ना कर मौका रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 29/04/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़